

न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

पीठासीन अधिकारी- वीरेन्द्र सिंह राजपूत
आपा0 पुनरीक्षण याचिका क्रमांक-34/2017
संस्थापन दिनांक-19.04.17

पूरनसिंह पुत्र नवलसिंह, उम्र 55 वर्ष, निवासी ग्राम
 ताल का पुरा, मजरा सुहांस, परगना गोहद, जिला
 भिण्ड (म0प्र0)

-पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा, जिला
 भिण्ड म0प्र0

प्रतिपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदक

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता
 प्रत्यर्थी द्वारा श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक
 अभियोजक।

आदेश

(आज दिनांक 09/05/2017 को पारित किया गया)

नोट- पुनरीक्षणकर्ता की ओर से आलौच्य आदेश जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है दिनांक 11.05.2017 को किया जाना दर्शाया गया है जो कि भविष्य की तिथि है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से प्रतिवेदन मांगा गया, जिसमें उन्होंने दर्शाया है कि उनके द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 11.04.2017 को किया गया है।

01. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी, द्वारा न्यायालय में संचालित प्रकरण क्रमांक 129/17 ई0फौ0 पूरनसिंह वि0 पुलिस थाना गोहद चौराहा में जप्तशुदा मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 एम.एच. 5161 के संबंध में प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 451 जा0फौ0 दिनांक 11.

04.17 को निरस्त किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

02. आवेदक की ओर से प्रस्तुत वर्तमान याचिका संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि आवेदक पूरन की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जप्तशुदा मोटरसाइकिल प्लेटिना क्रमांक एम.पी. 30 एम.एच. 5161 को सुपुर्दगी में लिए जाने बावत् आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था, जिसे घटना दिनांक को वाहन बीमित न होने के कारण दिनांक 11.04.2017 को अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित कर उक्त आवेदनपत्र निरस्त किया है, जिससे व्यथित होकर यह दांडिक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है।

03. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने, मोटरसाइकिल का बीमा करवाकर पेश किया गया है। वाहन काफी दिनों से थाने में रखा हुआ है उसके खराब होने की प्रबल संभावना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष तथ्य एवं विधि के विपरीत होने से आलोच्य आदेश अपास्त कर पुनरीक्षणकर्ता/सुपुर्दगीदार को उक्त वाहन मोटरसाइकिल सुपुर्दगी में दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

04. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्यों के अनुरूप होना दर्शाते हुये पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

05. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.पी.एस. गुर्जर एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर को सुना गया। पुनरीक्षण पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्र0 129/17 शासन विरुद्ध जगदीशप्रसाद कुशवाह का अवलोकन किया गया।

06. वर्तमान याचिका के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न है :-

01.	क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण क्र0 129/17 (शासन विरुद्ध जगदीश पटेल) में पारित आदेश दिनांक 11.04.17 पारित करने में विधि एवं तथ्य संबंधी ऐसी गंभीर त्रुटि की है, जो शुद्धता, वैधता, औचित्य एवं अधिकारिता के आधार पर पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है?
-----	--

॥ सकारण निष्कर्ष ॥

07. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि मोटरसाइकिल पुनरीक्षणकर्ता के दैनिक उपयोग की है जो थाने पर जप्त होकर खुले में खड़ी है और मूल्यहीन हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में मोटरसाइकिल को जप्त रखे रहने का कोई औचित्य नहीं है।
08. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि पुनरीक्षणकर्ता के स्वामित्व की मोटरसाइकिल दिनांक 08.03.2017 को फरियादी आशीष को टक्कर मारने के कारण प्रकरण में जप्त की गई है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि थाना गोहद चौराहा के अपराध क्रमांक 29/17 में अभियोगपत्र भा.द.वि की धारा 279, 337 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने प्रमुख रूप से मोटरसाइकिल को सुपुर्दगी में देने से इस आधार पर इन्कार किया है कि घटना दिनांक 08.03.2017 को मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 एम.एच. 5161 बीमित नहीं थी।
09. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से बीमा संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, उनके अवलोकन से दर्शित होता है कि मोटरसाइकिल घटना दिनांक के पश्चात् दिनांक 08.04.2017 को बीमित कराई गई है। ऐसी स्थिति में स्पष्टतः दुर्घटना दिनांक को दुर्घटनाकारी वाहन बीमित नहीं होना दर्शित होता है।
10. निश्चित रूप से यदि दुर्घटना में आहत क्षतिपूर्ति के लिए दावा लाता है तब उस दशा में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में उसे बीमा न होने के कारण विलम्ब हो सकता है, किन्तु निश्चित रूप से मोटरसाइकिल दैनिक उपयोग की वस्तु है, खुले में खड़ी रहने के कारण उसकी उपयोगिता कम होने की संभावना है, साथ ही उसके मूल्य में हास होने की संभावना है।
11. अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत यह पुनरीक्षण याचिका निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार की जाती है—

1. पुनरीक्षणकर्ता विचारण न्यायालय के समक्ष 50,000/- रूपए का सुपुर्दगीनामा इस आशय का प्रस्तुत करे कि वह न्यायालय के द्वारा निर्देशित करने पर वाहन को उपस्थित रखेगा।
 2. न्यायालय की अनुमति के बगैर उसके रंग, स्वरूप में परिवर्तन नहीं करेगा और न ही उसे अन्यत्र करेगा।
 3. पुनरीक्षणकर्ता 50,000/- रूपए की इस आशय की सोल्वेन्ट प्रत्याभूति प्रस्तुत करेगा कि दुर्घटना में आहतगण की ओर से क्षतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत किया जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश दिया जाता है, तो वह क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।
12. उक्त निर्देश के साथ वर्तमान याचिका का निराकरण किया जाता है।
13. आदेश की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख अविलंब लौटाया जाये।

आदेश खुले न्यायालय में पारित

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)